

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ-5-27/2020/10-2
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 05/03/2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- आवेदनकर्ता मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी रायपुर द्वारा सरगुजा जिले के सरगुजा वनमंडल अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 8.903 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यवर्तन प्रस्ताव।

- संदर्भ:-** 1. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।
2. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-823/1672, रायपुर दिनांक 14.09.2020 तथा पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-823/362, रायपुर दिनांक 10.02.2021।

---00---

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्रदाय करने की अनुशंसा की गई है।

आपके प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :-

तालिका

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सरगुजा	सरगुजा	लुंडरा	सुमेरपुर	आरक्षित वन	2591	459.350	0.5	0.023
2			लुंडरा	किशुनपुर	आरक्षित वन	2701	1828.596	0.5	0.091
3			लुंडरा	किशुनपुर	आरक्षित वन	2700	1375.530	0.5	0.069
4			सीतापुर	खाराकोना	आरक्षित वन	2643	1531.074	0.5	0.076
5			सीतापुर	बांसाझाल	आरक्षित वन	2647	263.707	0.5	0.013
6			सीतापुर	बिलासपुर	आरक्षित वन	2638	352.194	0.5	0.018
आरक्षित वन भूमि का योग							5810.451	0.5	0.290
7			अम्बिकापुर	मलगंवा	संरक्षित वन	P2599	1216.906	0.5	0.061
8			मैनपाट	डाडकेसरा	संरक्षित वन	P2323	871.565	0.5	0.044
9			मैनपाट	कमलेश्वरपुर	संरक्षित वन	P2328	681.628	0.5	0.034
10			मैनपाट	डाडकेसरा	संरक्षित वन	P2329	2477.271	0.5	0.124
11			मैनपाट	सरभंजा	संरक्षित वन	P2331	622.489	0.5	0.031
12			मैनपाट	सरभंजा	संरक्षित वन	P2332	4823.946	0.5	0.241
13			मैनपाट	सरभंजा	संरक्षित वन	P2333	1146.818	0.5	0.057
14			मैनपाट	सरभंजा	संरक्षित वन	P2339	1590.447	0.5	0.08

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
15	सरगुजा	सरगुजा	मैनपाट	सरभंजा	संरक्षित वन	P2340	449.158	0.5	0.022
16			मैनपाट	डाडकेसरा	संरक्षित वन	P2342	5335.985	0.5	0.267
17			मैनपाट	कुनिया	संरक्षित वन	P2347	1084.459	0.5	0.054
18			मैनपाट	बंदना	संरक्षित वन	P2350	2249.52	0.5	0.112
19			मैनपाट	बंदना	संरक्षित वन	P2352	3605.57	0.5	0.18
20			मैनपाट	बंदना	संरक्षित वन	P2353	2351.043	0.5	0.118
21			मैनपाट	बंदना	संरक्षित वन	P2354	178.435	0.5	0.009
22			मैनपाट	बंदना	संरक्षित वन	P2363	1695.13	0.5	0.085
23			मैनपाट	पेंट	संरक्षित वन	P2374	5679.984	0.5	0.284
24			मैनपाट	पेंट	संरक्षित वन	P2376	570.927	0.5	0.029
25			मैनपाट	बरिमा	संरक्षित वन	P2381	1014.505	0.5	0.051
26			मैनपाट	कन्द्रजा	संरक्षित वन	P2382	3792.976	0.5	0.19
27			सीतापुर	महेशपुर	संरक्षित वन	P2453	267.836	0.5	0.013
28			सीतापुर	गहिला	संरक्षित वन	P2625	850.281	0.5	0.043
29			सीतापुर	गहिला	संरक्षित वन	P2628	140.851	0.5	0.007
30			सीतापुर	गहिला	संरक्षित वन	P2631	558.424	0.5	0.028
31			सीतापुर	बिलासपुर	संरक्षित वन	P2636	317.203	0.5	0.016
32			सीतापुर	बिलासपुर	संरक्षित वन	P2639	229.295	0.5	0.011
33			सीतापुर	बांसाझाल	संरक्षित वन	P2649	218.743	0.5	0.011
34			लखनपुर	तीरकेला	संरक्षित वन	P2235	1833.072	0.5	0.092
35			लखनपुर	कुन्नी	संरक्षित वन	P2237	1524.515	0.5	0.076
36			लखनपुर	मांजा	संरक्षित वन	P2240	2406.677	0.5	0.119
37			लखनपुर	मांजा	संरक्षित वन	P2241	5176.18	0.5	0.259
38			लखनपुर	मांजा	संरक्षित वन	P2242	2990.556	0.5	0.15
39			लखनपुर	कन्तिदा	संरक्षित वन	P2244	1271.835	0.5	0.064
40			लखनपुर	गुमगराकला	संरक्षित वन	P2246	529.64	0.5	0.026
41			लखनपुर	गुमगराकला	संरक्षित वन	P2247	9214.595	0.5	0.461
42			लखनपुर	बिनकरा	संरक्षित वन	P2249	875.792	0.5	0.044
43			लखनपुर	लखनपुर	संरक्षित वन	P2251	2110.34	0.5	0.106
44			लखनपुर	चांदो	संरक्षित वन	P2252	177.918	0.5	0.009
45			लखनपुर	बेलदगी	संरक्षित वन	P2259	445.874	0.5	0.022
46			लखनपुर	बेलदगी	संरक्षित वन	P2260	2302.299	0.5	0.115
47			लखनपुर	कन्तिदा	संरक्षित वन	P2261	1079.104	0.5	0.054
48			लखनपुर	लखनपुर	संरक्षित वन	P2262	1684.945	0.5	0.084
49			लखनपुर	सलका	संरक्षित वन	P2516	4471.602	0.5	0.224
50			लखनपुर	सलका	संरक्षित वन	P2520	2408.665	0.5	0.12
51			लखनपुर	लैगा	संरक्षित वन	P2038	19231.784	0.5	0.961
52			लखनपुर	गोरता	संरक्षित वन	P2039	13707.325	0.5	0.686
53			लखनपुर	निम्हा	संरक्षित वन	P2040	6177.965	0.5	0.309
54			लुंडरा	गंजहाडांड	संरक्षित वन	2589	1243.822	0.5	0.062
55			लुंडरा	केपी	संरक्षित वन	P2600	325.088	0.5	0.016
56			लुंडरा	केपी	संरक्षित वन	P2601	1252.517	0.5	0.063
57			लुंडरा	उदारी	संरक्षित वन	P2604	1658.248	0.5	0.083

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
58	सरगुजा	सरगुजा	लुंडरा	उदारी	संरक्षित वन	P2605	1306.647	0.5	0.065
59			लुंडरा	लालमाटी	संरक्षित वन	P2606	197.719	0.5	0.01
60			लुंडरा	सुमेरपुर	संरक्षित वन	P2607	451.156	0.5	0.023
61			लुंडरा	बकनाकला	संरक्षित वन	P2610	767.682	0.5	0.038
62			लुंडरा	उदारी	संरक्षित वन	P2612	595.602	0.5	0.03
63			लुंडरा	लमगांव	संरक्षित वन	P2613	2195.46	0.5	0.11
64			लुंडरा	इहौली	संरक्षित वन	P2618	1886.194	0.5	0.094
65			लुंडरा	गहिला	संरक्षित वन	P2622	557.478	0.5	0.028
66			लुंडरा	लमगांव	संरक्षित वन	P2630	985.69	0.5	0.049
67			लुंडरा	जोरी	संरक्षित वन	P2672	797.88	0.5	0.04
68			लुंडरा	जोरी	संरक्षित वन	P2673	62.164	0.5	0.003
69			लुंडरा	ककनी	संरक्षित वन	P2678	360.09	0.5	0.018
70			लुंडरा	किरकिमा	संरक्षित वन	P2679	1758.779	0.5	0.088
71			लुंडरा	गेरसा	संरक्षित वन	P2680	1205.016	0.5	0.06
72			लुंडरा	लुंडरा	संरक्षित वन	P2685	900.067	0.5	0.045
73			लुंडरा	इहौली	संरक्षित वन	P2686	2347.216	0.5	0.117
74			लुंडरा	लुंडरा	संरक्षित वन	P2687	3939.045	0.5	0.197
75			लुंडरा	कुन्दीकला	संरक्षित वन	P2697	881.585	0.5	0.044
76			लुंडरा	कुन्दीकला	संरक्षित वन	P2698	634.627	0.5	0.032
77			लुंडरा	सखौली	संरक्षित वन	P2699	311.616	0.5	0.016
78			लुंडरा	किशुनपुर	संरक्षित वन	P2715	1620.925	0.5	0.081
79			लुंडरा	किशुनपुर	संरक्षित वन	P2716	707.726	0.5	0.035
80			लुंडरा	किशुनपुर	संरक्षित वन	P2717	931.872	0.5	0.047
संरक्षित वन भूमि का योग							153523.989	0.5	7.677
क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	सरगुजा	सरगुजा	बतौली	चंवरपानी	राजस्व वन	420	124.373	0.5	0.006
2			बतौली	सरस्वतीपुर	राजस्व वन	307	55.308	0.5	0.003
3			बतौली	सरस्वतीपुर	राजस्व वन	566/3	27.248	0.5	0.001
4			लखनपुर	तीरकेला	राजस्व वन	221/1	1241.389	0.5	0.062
5			लखनपुर	अमदला	राजस्व वन	474/1	1199.112	0.5	0.061
6			लखनपुर	अमदला	राजस्व वन	494	707.472	0.5	0.036
7			लखनपुर	कुसू	राजस्व वन	1401/1	121.508	0.5	0.006
8			लखनपुर	कुसू	राजस्व वन	1/1	253.877	0.5	0.013
9			लखनपुर	कुसू	राजस्व वन	3/1	203.967	0.5	0.010
10			लखनपुर	गोरयापीपर	राजस्व वन	214/8	303.519	0.5	0.015
11			लखनपुर	अमदला	राजस्व वन	54/5	367.068	0.5	0.018
12			लखनपुर	अमदला	राजस्व वन	86/1	581.771	0.5	0.029
13			लखनपुर	कुन्नी	राजस्व वन	306/1	1434.370	0.5	0.072
14			लखनपुर	कुन्नी	राजस्व वन	344/1	1071.941	0.5	0.054
15			लखनपुर	माजा	राजस्व वन	303/1	407.353	0.5	0.020
16			लखनपुर	माजा	राजस्व वन	278/9	313.599	0.5	0.016
17			लखनपुर	कन्दिदा	राजस्व वन	133/1	364.026	0.5	0.018

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
18	सरगुजा	सरगुजा	लखनपुर	कन्टिदा	राजस्व वन	135/1	1367.894	0.5	0.068
19			लखनपुर	तीरकेला	राजस्व वन	3/3	536.732	0.5	0.027
20			लखनपुर	तीरकेला	राजस्व वन	184/1	328.627	0.5	0.016
21			लखनपुर	जूनाडीह	राजस्व वन	38/2	772.143	0.5	0.039
22			लखनपुर	तीरकेला	राजस्व वन	197/32	438.707	0.5	0.022
23			लखनपुर	करई	राजस्व वन	123/10	299.876	0.5	0.015
24			लखनपुर	कुन्नी	राजस्व वन	1125/1	476.947	0.5	0.024
25			लखनपुर	कुन्नी	राजस्व वन	1046/18	199.566	0.5	0.010
26			लखनपुर	करई	राजस्व वन	15/1	179.389	0.5	0.009
27			लखनपुर	करई	राजस्व वन	149/5	47.312	0.5	0.002
28			लखनपुर	बंधा	राजस्व वन	23/1	102.379	0.5	0.005
29			लखनपुर	बंधा	राजस्व वन	148	57.900	0.5	0.003
30			लखनपुर	कन्टिदा	राजस्व वन	657/1	11.357	0.5	0.001
31			लखनपुर	कन्टिदा	राजस्व वन	26/14	190.859	0.5	0.010
32			लखनपुर	कन्टिदा	राजस्व वन	136/8	270.509	0.5	0.014
33			लखनपुर	कन्टिदा	राजस्व वन	183/1	726.957	0.5	0.036
34			लखनपुर	अमदला	राजस्व वन	790/1	567.929	0.5	0.028
35			लखनपुर	गुमगराकला	राजस्व वन	392/1	618.890	0.5	0.031
36			लखनपुर	गुमगराकला	राजस्व वन	843/3	318.681	0.5	0.016
37			लुंडरा	सायरराई	राजस्व वन	422/1	83.522	0.5	0.004
38			लुंडरा	पुरकेला	राजस्व वन	214/1	153.445	0.5	0.008
39			लुंडरा	लालमाटी	राजस्व वन	351/77	623.308	0.5	0.031
40			लुंडरा	लालमाटी	राजस्व वन	321/2	157.419	0.5	0.008
41			लुंडरा	लालमाटी	राजस्व वन	289/1	447.829	0.5	0.022
42			लुंडरा	दिवरी	राजस्व वन	507/1	47.637	0.5	0.002
43			लुंडरा	उदारी	राजस्व वन	642/1	193.674	0.5	0.010
44			मैनपाट	सरभंजा	राजस्व वन	1242	43.149	0.5	0.002
45			मैनपाट	सरभंजा	राजस्व वन	1245	28.045	0.5	0.001
46			मैनपाट	सरभंजा	राजस्व वन	1306	184.000	0.5	0.009
47			मैनपाट	सरभंजा	राजस्व वन	1090	40.759	0.5	0.002
48			मैनपाट	उडुमकेला	राजस्व वन	408/1	365.421	0.5	0.018
49			मैनपाट	असगावां	राजस्व वन	8/1	61.826	0.5	0.003
राजस्व वन भूमि का योग							18720.589	0.5	0.936
कुल योग							178055.029 (178.055 कि.मी.)	0.5	8.903

उक्त 178.055 कि.मी. लंबे तथा 0.50 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 8.903 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 0.290 हे., संरक्षित वन भूमि 7.677 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.936 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :-

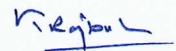
1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।
3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे ।

Handwritten signature/initials

4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुँचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किये मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा।
5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।
6. उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।
7. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा।
8. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।
9. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।
10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
11. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा।
12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित करेंगे।
13. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।
14. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) से उपरोक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,



(के.पी.राजपूत)

अवर सचिव

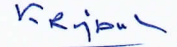
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठांक/कमांक/एफ-5-27/2020/10-2

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 05/03/2021

प्रतिलिपि :-

- 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0), भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
 - 2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
 - 3.मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर छत्तीसगढ़।
 - 4.वनमंडलाधिकारी, सरगुजा, वनमंडल छत्तीसगढ़।
 - 5.आवेदनकर्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग